न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी — सुखाराम पिन्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या — 94 / 2022 — जी.डी.एम.एस. नम्बर — 2022 / 71

दायर दिनांक — 28.04.2022 — निर्णय दिनांक — 20.06.2025

1. चम्पाराम पुत्र भागीरथराम जाति जाट निवासी शिवसागर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. पाबूराम पुत्र भागीरथराम जाति जाट निवासी शिवसागर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. फरसाराम पुत्र भागीरथराम जाति जाट निवासी शिवसागर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. लालाराम पुत्र भागीरथराम जाति जाट निवासी शिवसागर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. सुखराम पुत्र भागीरथराम जाति जाट निवासी शिवसागर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. सोनाराम पुत्र भागीरथराम जाति जाट निवासी शिवसागर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. भागीरथ पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी शिवसागर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. ग्राम पंचायत नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 807 / 803 रकबा 20.2019 हैक्टेयर सरहद मौजा शिवसागर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। प्रार्थीगण का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की तरमीम पटवारी हल्का द्वारा सेग्रीकेशन योजना तहत कब्जा व काश्त के विपरीत करदी गई है। इसलिये ग्राम शिवसागर पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी केखसरा नम्बर 807 / 803 रकबा 20. 2019 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में की गई विधि विरूद्व तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिनन भाग माना व समझा जावे।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार घंटियाली ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से कोई उपस्थित नहीं लिहाजा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम शिवसागर पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी केखसरा नम्बर 807/803 रकबा 20.2019 हैक्टेयर की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरा तरमीम मौका कब्जा व रिकार्ड अनुसार एकरूप ही अंकित है। तरमीम में शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण 1 ता 7 भी वर्तमान तरमीम से पूर्णतः सहमत है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सु[illegible] पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)